न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्रीमती अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 115 / 2022 प्रार्थना पत्र दायर दिनांक 17.06.2022

उनवान

1. मदन पुत्र भेरा जाति जटिया आयु वयस्क निवासी फतहपुरा ग्रा0 पं0 पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
2. हिरालाल उर्फ शंकर पुत्र भैरा जाति जटिया आयु वयस्क निवासी फतहपुरा ग्रा0 पं0 पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
3. नारायण उर्फ नानालाल पुत्र हजारी जाति जटिया आयु वयस्क निवासी फतहपुरा ग्रा0 पं0 पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
4. श्यामलाल पुत्र लक्ष्मण जाति जटिया आयु वयस्क निवासी फतहपुरा ग्रा0 पं0 पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
5. रामेश्वर पिता लक्ष्मण जाति जटिया आयु वयस्क निवासी फतहपुरा ग्रा0 पं0 पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
6. शंकर पुत्र उदयलाल जाति जटिया आयु वयस्क निवासी फतहपुरा ग्रा0 पं0 पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
7. जीतु पुत्र भुरा जाति जटिया आयु वयस्क निवासी फतहपुरा ग्रा0 पं0 पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
8. फेफीबाई पत्नी नारायण जाति जटिया आयु वयस्क निवासी फतहपुरा ग्रा0 पं0 पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
9. डाली पत्नी माधु जाति जाट आयु वयस्क निवासी फतहपुरा ग्रा0 पं0 पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
10. रामलाल पुत्र जीतु जाति जाट आयु वयस्क निवासी फतहपुरा ग्रा0 पं0 पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. गणेशलाल पुत्र भेरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी फतहपुरा ग्रा0 पं0 पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
2. तुलसीराम पुत्र भेरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी फतहपुरा ग्रा0 पं0 पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
3. रतनलाल पुत्र भेरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी फतहपुरा ग्रा0 पं0 पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
4. देऊबाई पत्नी भेरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी फतहपुरा ग्रा0 पं0 पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
5. भूमिधारी तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. पटवारी पटवार हल्का पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. अणछी पुत्री भेरा जाति चमार आयु वयस्क निवासी फतहपुरा ग्रा0 पं0 पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
8. उदलदेवी पुत्री नारायण जाति चमार आयु वयस्क निवासी फतहपुरा ग्रा0 पं0 पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़। (विलोपित)
9. उदीबाई पत्नी उदा जाति चमार आयु वयस्क निवासी फतहपुरा ग्रा0 पं0 पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
10. कमलाबाई पुत्री लक्ष्मण जाति चमार आयु वयस्क निवासी फतहपुरा ग्रा0 पं0 पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
11. गटु पत्नी हजारी जाति जटिया आयु वयस्क निवासी फतहपुरा ग्रा0 पं0 पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
12. चांदी पुत्री छगना जाति चमार आयु वयस्क निवासी फतहपुरा ग्रा0 पं0 पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़। (विलोपित)
13. जेतु पुत्री हजारी जाति चमार आयु वयस्क निवासी फतहपुरा ग्रा0 पं0 पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:32:09 IST
Reason: SelfAttested

14. झमकु पत्नी छगना जाति चमार आयु वयस्क निवासी फतहपुरा ग्रा0 पं0 पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़। (विलोपित)
15. नानीबाई पुत्री लक्ष्मण जाति जटिया आयु वयस्क निवासी फतहपुरा ग्रा0 पं0 पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
16. मेहताबबाई पुत्री लक्ष्मण जाति जटिया आयु वयस्क निवासी फतहपुरा ग्रा0 पं0 पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
17. मांगी पत्नि भेरा जाति चमार आयु वयस्क निवासी फतहपुरा ग्रा0 पं0 पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
18. रतन पुत्र नारायण जाति जटिया आयु वयस्क निवासी फतहपुरा ग्रा0 पं0 पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़। (विलोपित)
19. लीला पुत्री उदा जाति चमार आयु वयस्क निवासी फतहपुरा ग्रा0 पं0 पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
20. हगामी पुत्री छगना जाति चमार आयु वयस्क निवासी फतहपुरा ग्रा0 पं0 पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
21. केशर पत्नी जीतु जाति जाट आयु वयस्क निवासी फतहपुरा ग्रा0 पं0 पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।

——अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री लक्ष्मीशंकर जाट —प्रार्थीगण
एकतरफा —अप्रार्थीगण

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट0 :—

निर्णय दिनांकः 06.02.2024

—:निर्णयः—

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण सं0 1 से लगायत 8 तक की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात ग्राम फतहपुरा पटवार हल्का पाण्डोली के हल्के बैरूनी में स्थित हाल आराजी संख्या 126, 127, 128, 129, 193, 194, 195, 196 कुल किता 8 कुल रकबा 6.00 हैक्ट0 स्थित है, तथा प्रार्थीगण संख्या 9 व 10 की सामलाती खातेदारी कब्जेकाश्त की आराजीयात ग्राम फतहपुरा पटवार हल्का पाण्डोली के आराजी संख्या 130, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 185, 186, 190, 191, 291, 292, 616/294, 617/293 कुल किता 16 कुल रकबा 3.29 हैक्ट0 स्थित होकर के प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात पर अपने अपने हक हिस्से पर काबिज होकर के काश्त करते चले आ रहे हैं।

यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उपरांकित कॉलम सं0 1 में वर्णित आराजीयात पर जाने वाले रास्ता खसरा नम्बर 259 किस्म रास्ता से आराजी नं0 171 रास्ता से होकर प्रार्थीगण की आराजीयात में प्रवेश करने हेतु रास्ता बना हुआ है लेकिन प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बीच प्रार्थना पत्र की कॉलम सं0 1 में उल्लेखित आराजीयात की सीमाओं को लेकर के दोनो पक्षों के बीच मन—मुटाव हो गया जिसके कारण अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण की आराजीयात में आने जाने खाली भरी बैलगाडी ट्रेक्टर पशु आदि लाने ले जाने हेतु बने हुए रास्ते को बंद कर दिया। जिसके कारण प्रार्थीगण अपनी आराजीयात पर न हीं आ जा सक रहे हैं, खेती बाडी भी नहीं कर पा रहें है उक्त रास्ते के अलावा और कोई वैकल्पिक सुगम व लघुत्तम रास्ता नहीं है इस कारण से प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1 में उल्लेखित खातेदारी आराजीयात में आने जाने खाली भरी बैलगाडी ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु रास्ता आराजी नं0 259 व 171 के पास स्थित अप्रार्थीगण के खातेदारी के आराजी नं0 134 से सटमा तक 20 फीट चौडा रास्ता खाली भरी बैलगाडी ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:32:09 IST
Reason: SelfAttested

दिलाया जाना आवश्यक है तथा वर्तमान में मौके पर रास्ता है परन्तु नक्शा ट्रेस में व आराजीयात नं0 134 अप्रार्थीगण की खातेदारी होने से रास्ते का बंद कर दिया है उक्त रास्ता प्रार्थीगण की आराजीयात के लिए दिलाया जाना आवश्यक है ग्राम फतहपुरा के रास्ते के पास स्थित अप्रार्थीगण के आराजी नं0 134 से सटमा 20 फीट चौडा रास्ता कायम कराया जाना आवश्यक है।

यह कि आराजी नं0 134 से सटमा आम रास्ते से प्रार्थीगण के खातेदारी के आराजीयात तक 20 फीट चौडा रास्ता कायम कराया जाकर के बिलानाम रास्ता दर्ज कराया जावें, नियमानुसार डी0एल0सी0 रेट के अनुसार रास्ते का व्यय प्रार्थीगण जमा कराने को तैयार है। अप्रार्थी सं0 7 से 21 तक सह खातेदारी होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये है।

यह कि अप्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 02.06.2022 को सम्पूर्ण रूप से रास्ता बंद कर दिया इसलिए वाद हेतुक दिनांक 02.06.2022 को जारी होकर के निरन्तर जारी है।

अन्त में प्रार्थना की कि–

– प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर के प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1 में उल्लेखित प्रार्थीगण के खातेदारी आराजीयात पर आने जाने खाली भरी बैलगाडी ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु ग्राम फतहपुरा जाने वाला रास्ता आराजी नं0 134 से सटमा 20 फीट चौडा रास्ता प्रार्थीगणों की आराजीयात तक कायम कराये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 8, 12, 14, 18 का नाम विलोपित किये जाने के वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उक्त अप्रार्थीगण का नाम विलोपित किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4, 7, 9, 10, 11, 13, 15 से 17, 19 से 21 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से आज दिनांक 06.02.2024 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। दिनांक 30.01.2024 को कमिश्नर से मौका रिपोर्ट प्राप्त। जिसे शा0फा0 किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा मौखिक बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात पर पहुंच हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट में अंकित रास्ता ही निकटतम रास्ता है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर रास्ता उपलब्ध कराया जावें।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार कपासन से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

1. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमांबदी)

   प्रकरण में तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को मौजा फतहपुरा की अपनी निजी की आराजीयात पर पहुंचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करावें।

   तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम है।

3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय [illegible] मौका संलग्न करावें।

   नहीं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:32:09 IST
Reason: SelfAttested

4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

   विपक्षीगण बावजूद सूचना के निरीक्षण दिनांक को मौके पर उपस्थित नहीं हुए। इस कारण वादी एवं प्रतिवादीगणों के मध्य सहमति बाबत कार्यवाही नही हो सकी।

5. सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

   आराजी नम्बर 134 में से प्रार्थीगण उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर (लम्बाई 160 मी0 × चौडाई 5 मी0 संलग्न प्रस्तावित ट्रेस अनुसार, रास्ता (कुल क्षेत्रफल 0.08 हैक्ट0 (800 वर्गमीटर) चाहते है जहां मौके पर रास्ता बना हुआ है जो दक्षिण दिशा में उक्त आराजी नं0 134 के लगते बिलानाम रास्ता आराजी नं0 171 से लगता है।

   रास्ते हेतु मौके पर प्रस्तावित अनुसार कुल 800 वर्गमीटर भूमि बनती है जिसकी डी0एल0सी0 410792 रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से 800 वर्गमीटर की राशि 32864/– जिसका दुगुना करने पर 65728/– (रूपये अक्षरे पैंसठ हजार सात सौ अठाइस) राशि बनती है।

अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि मौजा फतहपुरा पटवार हल्का पाण्डोली तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित हाल आराजी न0 126, 127, 128, 129, 193, 194, 195, 196 कुल किता 8 कुल रकबा 6.00 हैक्ट0 तथा आराजी संख्या 130, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 185, 186, 190, 191, 291, 292, 616/294, 617/293 कुल किता 16 कुल रकबा 3.29 हैक्ट0 पर आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की ग्राम फतहपुरा पटवार हल्का की आराजी संख्या 134 से रास्ता चाह रहे है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण उपयोग करते आ रहे है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के आने जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार कपासन से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः मौजा फतहपुरा की उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर जाने हेतु कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिये सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराये जाना न्यायहित में आवश्यक है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क :– अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना के बिन्दु 1–'ख' कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारी की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय होता है। तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उप–खण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उप–खण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

I. यह आवश्यकता आत्यतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और
II. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है, तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या [illegible]र्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:32:09 IST
Reason: Self Attested

अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चौड़ा न हो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उप–खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहाँ उप–धारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहाँ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उप–धारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।'

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के तहत इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि मौजा फतहपुरा पटवार हल्का पाण्डोली तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 126, 127, 128, 129, 193, 194, 195, 196 कुल किता 8 कुल रकबा 6.00 हैक्ट0 तथा आराजी संख्या 130, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 185, 186, 190, 191, 291, 292, 616/294, 617/293 कुल किता 16 कुल रकबा 3.29 हैक्ट0 में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की मौजा फतहपुरा की आ.न. 134 है। जिससे प्रस्तावित रकबा $160 \times 5 = 800$ वर्ग मीटर है जिसका दिनांक 09.01.2024 के मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ता कायम किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के अनुसार कुल रकबा 800 वर्गमीटर की डीएलसी दर 410792 × 0.0800 = 32864 रूपये है जिसका दुगुना करने पर 65728/– रूपये अक्षरे पैंसठ हजार सात सौ अठाइस रूपये राशि जो कि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के नाम राजस्व रेकार्ड में हक हिस्से अनुसार देय है को जरिये प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के नाम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशी अदायगी हेतु 30 योम की अवधि का नोटिस जारी करे यदि उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधी के भितर–भितर विपक्षीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन से प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें। इस रास्ते पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:32:09 IST
Reason: SelfAttested

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन